

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 उनवान
 प्र0सं0 88 / 2024 भंवरी देवी तेली
 बनाम
 सत्यनारायण तेली वगैरहा


नम्बर व तारीख
 अहकाम जो
 इस हुक्म की
 तामील में जारी
 हुए

21-04-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 3205 दिनांक 23.12.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-
 ग्राम महेशपुरा पटवार हल्का कांदा भू0अ0नि0 क्षेत्र दांथल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
भंवरीदेवी पत्नी नारायणलाल तेली निवासी बिलियाखुर्द	220 / 1 / 2	0.0822 है0
सत्यनारायण पिता नाथूलाल तेली सा0 महेशपुरा	220 / 1 / 1	0.0822 है0

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 21-04-25 2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या
88/2024

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

दायर दिनांक
13.05.2024

निर्णय दिनांक
21-05-2025

उनवान

1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री नारायण तेली, निवासी बिलियाखुर्द, पुर रोड भीलवाड़ा

-- वादी

1. श्री सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल तेली, निवासी महेशपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

उपस्थित :-

--प्रतिवादीगण

1. वादी अधिवक्ता श्री नानूलाल तेली उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री नानूलाल तेली एवं विपक्षी संख्या 01 उपस्थित। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 21-05-2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम महेशपुरा पटवार हल्का कांदा भू0अ0नि0 क्षेत्र दांथल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
भंवरीदेवी पत्नी नारायणलाल तेली निवासी बिलियाखुर्द	220/1/2	0.0822 है0
सत्यनारायण पिता नाथूलाल तेली सा0 महेशपुरा	220/1/1	0.0822 है0

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय आज दिनांक 21-05-2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा